

6-8-29

पत्रावली के डा हुआ प्राथमिक एवं उनके
वकील को शक-2 कर कर-2 आवली
लगाई गई। प्राथमिक एवं उनके वकील
उपस्थित नहीं है। अतः प्राथमिक का
प्राथमिक अदम दाजरी व अदम पंखी
के खारिज किफा जल्द ही पत्रावली
के लक्ष्यपूर्ण से कर लक्ष के अदम
के लक्ष्य शामिल इस कर दाजरी